न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/102/2018

उनवान

1. प्रहलाद पिता नानूराम शर्मा निवासी रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. बद्रीलाल पिता मोहन लाल शर्मा निवासी रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. हरक लाल पिता मोहन लाल शर्मा निवासी रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. रामेश्वर पिता मोहन लाल शर्मा निवासी रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 394/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6..2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता मोहन पुत्र देवा जी ब्राह्मण निवासी रतनुपरा पटवार मण्डल रतनपुरा को पत्रावली संख्या 512/84 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा दिनांक 16.4.1985 को आवंटन हुआ । खसरा नम्बर 195 में से 5 बीघा व 315 में से 2 बीघा कुल 7 बीघा लगानी 6.25 रूपये से पट्टा जारी भी हुआ । संवत 2042 की जमाबंदी साबिक खाता संख्या 1 में सरकारी भूमि से गैर खातेदारी दर्ज हुई व इन्तकाल संख्या 306 से राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ । वादीगण के पिता ने पट्टा फीस जमा करा दी और पट्टा जारी हो गया व पट्टा अनुसार मोहन पिता देवा का सजरा निम्न है :–

मोहन पिता देवा ब्राह्मण

नानूराम बद्रीलाल हरकलाल रामेश्वर

इन्तकाल नम्बर 306 में उक्त पट्टा आवंटन अनुसार इन्द्राजात दिनांक 18.4.1985 को किया जाकर साबिक जमाबंदी खाता संख्या 01 संवत 2037 से 2040 पर अमल कर प्रमाणित किया गया । ए एस ओ द्वारा दिनांक 9.9.85 को अलोटमेण्ट के बाद सेटलमेण्ट आसीन्द तहसील का हुआ । सेटलमेण्ट विभाग ने साबिक खाता संख्या 01 की आराजी नम्बर 315 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा मे से 2 बीघा भूमि व आराजी नम्बर 195 रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ कुल 7 बीघा भूमि लगानी 6.25/–रूपये से जानी जाती है। उक्त रकबे को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया व खाता सख्या 01 चालू जमाबंदी में आराजी नम्बर 375 रकबा 2.33 हेक्टर व 395 रकबा 14.17 है0 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया । जिसमें वादीगण का रकबा भी शामिल है। इस गैर खातेदार भूमि को सेटलमेण्ट विभाग ने अपने अधिकारों से परे जाकर बिना कोई आदेश व डिक्री के खातेदारी परिवर्तन करने में कानून को हाथ में लिया है। जो इन्द्राजात निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए पटवार हल्का रतनपुरा से रेकार्ड प्राप्त किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

क्योंकि गांव के लोग वादीगण के पिता की आराजियात पर नाजायज तरीके से बाडा बनाने लग गये तब रेकार्ड प्राप्त करने से पता चला कि बिलानाम सरकार दर्ज हो गई। जो बिनाय वाद दिनांक 25.5.2009 से रेकार्ड प्राप्त करने से जारी है। अतः बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 01 के आराजी नम्बर 375 रकबा 2.33 हेक्टर में से 2 बीघा भूमि यानि रकबा 0.42 है0, भूमि व आराजी नम्बर 395 रकबा 14.17 है0 में से 5 बीघा भूमि यानि रकबा 1.08 है0 भूमि यानि कुल 1.50 है0 भूमि की खातेदारी की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती नये नम्बर व खाते के साथ डिक्री प्रदान कराई जावे। साथ ही वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध चालू खाता संख्या 01 बिलानाम सरकार भूमि रकबा 16.50 है0 में से 1.50है0 कम करते हुए वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी इन्द्राज की डिक्री नये नम्बर व नक्शा ट्रेस के साथ राजस्व रेकार्ड में पालना कराई जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रकिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रतनपुरा तहसील आसीन्द मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया । अपीलार्थी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसके उपरान्त प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी में लंबित चल रहा था। अपीलार्थीगण/वादीगण को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये गये एवं प्रकरण को सीधे ही कैम्प कोर्ट में नियत कर दिया गया । प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत अपीलार्थीगण/वादीगण को कोई सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट रतनपुरा तहसील आसीन्द में रखकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसारं अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्याायालय में दिनांक 9.10.2009को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं दिनांक 25.6.2012 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया गया । दिनांक 3.11.2014 को प्रकरण में वकील वादी द्वारा शहादत पेश नहीं करने से अंतिम अवसर दिया जाकर प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.5.2015 नियत किया गया । उसके उपरान्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। चूंकि आगामी नियत तारीख पेशी पर दिनांक 23.6.2015 को लोक अदालत में प्रकरण को चिन्हित किया गया परन्तु राजीनामा नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.9.2015 नियत की गई। दिनांक 9.9.2015 के उपरान्त पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त रहे अथवा आगामी तारीख पेशी बदलती रहीं। दिनांक 23.2.2017 की आदेशिका के अनुसार पीठासीन अधिकारी कैम्प में रहे इसलिए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2017 नियत की गई।

1. प्रकरण में दिनांक 8.6.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। उसके उपरान्त सीधे ही प्रकरण को दिनांक 12.6.2017 को लोक अदालत कैम्प रतनपुरा में नियत किया गया । पत्रावली को दिनांक 12.6.2017 को प्रकरण को लोक अदालत कोर्ट केम्प मुख्यालय रतनपुरा तहसील आसीन्द पर रखे जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक सूचना पत्र संलग्न है । जिसका अवलोकन किया गया, उक्त सूचना पत्र की पुश्त पर सभी वादीगण के नाम अंकित है । किन्तु उक्त सूचना पत्र पर किसी भी वादी को सूचित होने स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है। जबकि नियत तारीख में परिवर्तन कर प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उन्हें नियत तारीख को लोक अदालत में प्रकरण को रखे जाने बाबत सूचित किया जाता है।

2. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण मे जवाब दावा आने पर तनकियात कायम करते एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करते। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण/वादीगण को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर बाद साक्ष्य सुनवाई के निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नही आता है। अतः अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

4. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा